न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 73/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
श्री हबीबु रहमान पुत्र स्व. श्री अब्दुल रहमान, जाति मुसलमान सिलावट निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: निर्णय :: **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1704 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई हैं। जिसके खाता सं. 4 हैं। उपरोक्त खसरे की भूमि पूर्व में अब्दुला पुत्र महमदा कौम मुसलमान के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी। वजह सबूत जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी संवत् प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। अब्दुला प्रार्थी के पिता थे तथा प्रार्थी के पिता अब्दुला फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 610 द्वारा अब्दुला के स्थान पर प्रार्थी अजीजु रहमान, फजलू रहमान, हफीजू रहमान का नाम प्रथम बार जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज किया गया। उक्त जमाबंदी में फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 610 के अनुसार ही प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान दर्ज किया गया। इसके आगे की जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 की खतौनी के समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान के स्थान पर अशुद्ध नाम हबीबुर्रहमान दर्ज कर दिया। जो लिपिकीय त्रुटि इसके बाद की आगे की जमाबंदी में लगातार दर्ज चली आ रही हैं तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में भी उक्त लिपिकीय त्रुटि दर्ज है। इसलिए तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 व फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 610 के अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के उक्त खसरे की भूमि में लिपिकीय त्रुटिवश अशुद्ध नाम के कारण प्रार्थी सरकारी सुविधा व ऋण इत्यादि प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा यह कहते हूए प्रार्थी को मना कर

दिया कि उक्त अशुद्ध इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2035 से दर्ज चला आ रहा हैं, इसलिए उक्त अशुद्ध इन्द्राज को अप्रार्थी शुद्ध करने हेतु सक्षम नहीं है, अपितु श्रीमान सक्षम हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 व फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 610 के अनुसार सही/शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश हैं। प्रार्थी के सरकारी व निजी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनआधारकार्ड में भी प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान दर्ज हैं। इस आधार पर भी चालू जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त खसरे की जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज फजर्लूरहमान के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज फजलू रहमान, अशुद्ध इन्द्राज अजीर्जुरहमान के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज अजीजु रहमान शुद्ध किये जाने बाबत् दिनांक 05.02.2024 को आदेश पारित किया जा चुका हैं तथा आदेश की पालना में शुद्धि का म्यूटेशन संख्या 3534 भी स्वीकृत किया जा चुका हैं। इस आधार पर भी चालू जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान शुद्ध किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने से उपरोक्त खसरा की भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदारों के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा व न ही अन्य दर्ज सहखातेदारों के हक व अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए अन्य दर्ज सहखातेदारों प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बताया गया हैं।

अन्त में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1704 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सिलावट सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलावट सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होंने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया, जो जवाब इस आधार का पेश किया कि राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 1704 रकबा 2.9443 हैक्टेयर किस्म बारानी।। आई हुई है। जो पूर्व में अब्दुला पुत्र महमूदा कौम मुसलमान के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी। अब्दुला के फौत होने पर जरिये विरासत नामा.सं. 610 द्वारा अब्दुला के स्थान पर प्रार्थी अजीजु रहमान, फजलू रहमान, हफीजू रहमान का नाम जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज किया। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान नामां. सं. 610 के जरिये दर्ज हुआ हैं। जमाबंदी चौसाला 2035 से 2038 तैयार करते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान के स्थान पर अशुद्ध नाम हबीबुर्रहमान दर्ज कर दिया। जो आगे की जमाबंदियों में लगातार चला आ रहा हैं। तथा वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरकारी व निजी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी,

जनआधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम हबीबु रहमान दर्ज हैं। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा सं. 1704 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलावट सा. देह के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलावट किये जाने में भूमिधारी सहमत हैं।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराया । अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार नामा.सं. 610 के जरिये जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान ही दर्ज किया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ साक्ष्य हेतु संलग्न सरकारी व निजी दस्तावेजों की प्रति यथा– राजस्व जमाबंदी, आधार कार्ड प्रदर्श सं. 1, राशन कार्ड प्रदर्श सं. 2, बैंक पास बुक प्रदर्श सं. 3, जनआधार कार्ड प्रदर्श सं. 4 आदि प्रस्तुत की गई हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का सही नाम हबीबु रहमान हैं जबकि जमाबंदी चौसाला 2035 से 2038 तैयार करते समय उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटिवश सही नाम हबीबु रहमान के स्थान पर गलत नाम हबीबुर्रहमान दर्ज कर दिया गया। जिससे वर्तमान जमाबंदी में भी अशुद्ध नाम ही दर्ज चला आ रहा हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा सं. 1704 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थी के अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलावट सा.देह के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान पुत्र श्री अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलवाट दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा सं. 1704 रकबा 2.9448 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थी के अशुद्ध इन्द्राज हबीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलावट सा.देह के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज हबीबु रहमान पुत्र श्री अब्दुल रहमान 1/4 जाति मुसलमान सिलवाट दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा